



2026:AHC:175899

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या - 12269/2026

देवेन्द्र कुमार शर्मा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य

.....विपक्षी(गण)

और संबंधित 2 वाद

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : परितोष शुक्ला, एस.एन. तिवारी, संतोष कुमार तिवारी,
शांतनु, शाशवत शुक्ला, सुरेन्द्र नाथ तिवारी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए., शासकीय अधिवक्ता, प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव, राहुल
कुमार शर्मा, विष्णु प्रकाश

न्यायालय संख्या - 76

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल

(I) धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या 12269/2026 में आदेश

1. वाद सूची दोहराई गई।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री परितोष शुक्ला, विपक्षी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-1 श्री अजय सिंह को सुना गया तथा अभिलेखों का परिशीलन किया गया।
3. यह आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदक- देवेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर किया गया है:-

“अतः अत्यंत सादर प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (जे.डी.)/जे.एम., हाथरस द्वारा पारित दिनांक 30.11.2004 के आरोप-पत्र एवं दिनांक 17.12.2004

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के संज्ञान तथा समन आदेश सहित, मुकदमा मुकदमा अपराध संख्या 126/2003, भा.द.सं. की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के अंतर्गत (थाना चांदपा, जिला हाथरस) से उद्भूत आपराधिक वाद संख्या 448/2004 (राज्य बनाम देवेन्द्र शर्मा), जो सिविल न्यायाधीश (जे.डी.)/एफ.टी.सी.-I, हाथरस के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाहियों को खारिज करने की कृपा करे।

आगे यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय मुकदमा मुकदमा अपराध संख्या 126/2003, भा.द.सं. की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के अंतर्गत (थाना चांदपा, जिला हाथरस) से उद्भूत आपराधिक वाद संख्या 448/2004 (राज्य बनाम देवेन्द्र शर्मा), जो सिविल न्यायाधीश (जे.डी.)/एफ.टी.सी.-I, हाथरस के न्यायालय में लंबित है, की अग्रेतर कार्यवाहियों को स्थगित करने की कृपा करे, अन्यथा आवेदक को अप्रतिकार्य हानि और क्षति उठानी होगी।”

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान में विचारण का प्रक्रम यह है कि आरोप विरचित होने के पश्चात विचारण प्रारंभ हो गया है तथा पी.डबल्यू.-1 के रूप में एक साक्षी का साक्ष्य अभिलिखित किया जा चुका है। वे प्रस्तुत करते हैं कि उसी घटना की एक अन्य एफ.आई.आर. है तथा उक्त वाद को इस मामले के साथ संबद्ध कर एक साथ निर्णीत किया जाना चाहिए, किंतु उक्त प्रार्थनाएं वर्तमान वाद में नहीं की गई हैं। वे प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रत्याहृत के रूप में निरस्त किया जाए, क्योंकि वे उपयुक्त न्यायालय के समक्ष विधि द्वारा उपलब्ध समुचित निदान अपनाएंगे।

5. प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

6. यह आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रत्याहृत के रूप में निरस्त किया जाता है।

7. अभिलेख से इस मामले में किसी अंतरिम आदेश के पारित होने का पता नहीं चलता है।

(II) धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 8068/2005 में आदेश

1. वाद सूची दोहराई गई।

2. इस तथ्य के होते हुए भी कि मामले में दो विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित हैं, धारा 482 दं.प्र.सं. के अंतर्गत इस आवेदन की पैरवी करने के लिए आवेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। निजी प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल कुमार शर्मा भी उपस्थित नहीं हैं, यहाँ तक कि जब मामले को पुनरीक्षित सूची में लिया गया है। राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-1 श्री अजय सिंह उपस्थित हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. निजी प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल कुमार शर्मा का वकालतनामा अभिलेख पर नहीं है। कार्यालय उसका पता लगाए और उसे अभिलेख पर रखे तथा इस संबंध में आदेश-पत्रिका में एक टिप्पणी करे।
4. यह मामला इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 12.08.2026 के आदेश के अनुसरण में धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या 12269/2026 (देवेन्द्र कुमार शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य) के साथ संबद्ध है।
5. धारा 482 दं.प्र.सं. के अंतर्गत यह आवेदन आवेदक- गिरीश पचौरी द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर किया गया है:-

“अतः अत्यंत सादर प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपा करे कि सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड), हाथरस के न्यायालय में लंबित वाद संख्या 463/2004, राज्य बनाम गिरीश पचौरी, मुकदमा अपराध संख्या 45/2001, भा.द.सं. की धारा 409/467/468/471 के अंतर्गत, की अग्रेतर कार्यवाही को वर्तमान वाद की लंबितता के दौरान स्थगित रखा जाए। आगे न्याय के हित में यह इष्टकर है कि यह माननीय न्यायालय कृपा करे कि मुकदमा अपराध संख्या 45/2001, भा.द.सं. की धारा 409/467/468/471 के अंतर्गत, थाना चांदपा, जिला हाथरस में आवेदक की गिरफ्तारी को स्थगित रखा जाए, तथा पूर्वोक्त वाद को स्वीकार किया जाए। अथवा वाद की परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त प्रतीत होने वाला अन्य आदेश पारित किया जाए।”
6. विपक्षी संख्या 1, 3, 4 की ओर से सूचना विद्वान राज्य के अधिवक्ता द्वारा स्वीकार की गई है।
7. राज्य के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि यह याचिका पोषणीय नहीं है क्योंकि इसमें केवल विचारण न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित करने तथा आवेदक की गिरफ्तारी को स्थगित करने की प्रार्थना है, बिना किसी अंतिम प्रार्थना के।
8. चूंकि आवेदक की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, धारा 482 दं.प्र.सं. के अंतर्गत यह आवेदन पैरवी न किए जाने के कारण निरस्त किया जाता है।
9. यदि कोई अंतरिम आदेश है, तो वह रद्द किया जाता है।
10. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह आज से दो सप्ताह के भीतर इस आदेश को संबंधित न्यायालय को सम्प्रेषित करे।
11. लंबित आवेदन (यदि कोई हो), निस्तारित समझे जाएंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(III) धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 35918/2023 में आदेश

1. वाद सूची दोहराई गई।
2. इस तथ्य के होते हुए भी कि मामले में तीन विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित हैं, धारा 482 दं.प्र.सं. के अंतर्गत इस आवेदन की पैरवी करने के लिए आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-। श्री अजय सिंह उपस्थित हैं।
3. यह मामला इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 16.10.2023 के आदेश के अनुसरण में धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 8068/2005 (गिरीश पचौरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा 3 अन्य) के साथ संबद्ध है।
4. धारा 482 दं.प्र.सं. के अंतर्गत यह आवेदन आवेदक- गिरीश पचौरी द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर किया गया है:-

“अतः अत्यंत सादर प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-चतुर्थ/न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाथरस द्वारा वाद संख्या 947/2023, मुकदमा अपराध संख्या 45/2001 (राज्य बनाम गिरीश पचौरी), भा.द.सं. की धारा 409, 471, 468, 460 के अंतर्गत, थाना चांदपा, जिला हाथरस में पारित दिनांक 29.08.2023 के आक्षेपित गैर-जमानती वारंट को, तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-चतुर्थ/न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाथरस के समक्ष लंबित उक्त वाद संख्या 947/2023, मुकदमा अपराध संख्या 45/2001 की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने की कृपा करे।

आगे यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-चतुर्थ/न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाथरस के समक्ष लंबित वाद संख्या 947/2023, मुकदमा अपराध संख्या 45/2001 (राज्य बनाम गिरीश पचौरी), भा.द.सं. की धारा 409, 471, 468, 460 के अंतर्गत, थाना चांदपा, जिला हाथरस, की कार्यवाही को इस माननीय न्यायालय के समक्ष वर्तमान आपराधिक प्रकीर्ण आवेदन की लंबितता के दौरान स्थगित रखने की कृपा करे। और/अथवा वाद की परिस्थितियों में जो अन्य और अग्रतर आदेश यह माननीय न्यायालय उचित एवं समुचित समझे, वह पारित करे।”

5. चूंकि आवेदक की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, धारा 482 दं.प्र.सं. के अंतर्गत यह आवेदन पैरवी न किए जाने के कारण निरस्त किया जाता है।
9. अभिलेख से किसी अंतरिम आदेश के पारित होने का पता नहीं चलता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह आज से दो सप्ताह के भीतर इस आदेश को संबंधित न्यायालय को सम्प्रेषित करे।

11. लंबित आवेदन (यदि कोई हो), निस्तारित माने जाएंगे।

20 अगस्त, 2026

ए.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति समिति गोपाल)

Translated Version. Not for Legal Use.